

पालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

रसीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

दमा नम्बर:-138/2018 प्रार्थना पत्र

ति कंचन पत्नि श्री शिवदयाल अरोड़ा, उम्र बालिग निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीया

बनाम

श्री बंशीलाल पिता बक्षु सुथार, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री लादू पिता पीरू पीनारा, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री सुल्तान पिता पीरू पीनारा, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्रीमति मंजु देवी पत्नि कन्हैयालाल खटीक, उम्र बालिग निवासी खटीकों के मंदिर के सामने, पुरानी  
गानमंडी-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री बालू पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री देवी पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री नंदा पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री पोखर पिता छोगा बलाई, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री मदनलाल आगाल, उम्र बालिग निवासी 342-बी, आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा  
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति विमला देवी पत्नि बंशीलाल सुथार, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
श्री मोहनलाल पिता देवी दरोगा, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 945/2 रकबा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ोसी हैं। क्रे खाते व कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा वाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की नकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.5.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर समन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 के सम्मन प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थीया द्वारा संख्या 4, 5 व 11 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 19.6.2018 को ड्रॉप किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 12 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त से शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 12 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे देने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 8.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में नफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ल आराजी नम्बर 945/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 0/-रूपये (चार सौ रूपये) कमिस्नर फीस पर कमिस्नर नियुक्त किया जाता है। कमिस्नर फीस प्रार्थीया के पर जमा करावें। कमिस्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की वें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

